दैनिक न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, बुधवार 20 जुलाई 2022 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-04, अंक- 292

महत्वपूर्ण एवं खास

पैगंबर के खिलाफ टिप्पणी मामले में नूपुर शर्मा को बड़ी राहत, सुको ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक

नई दिल्ली (आरएनएस)। भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा को पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। पैगंबर के खिलाफ बयान देकर विवादों में घिरी शर्मा के खिलाफ देश के कई हिस्सों में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। अदालत ने फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। नूपुर ने अपनी याचिका में देश भर में दर्ज विभिन्न मामलों को दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर करने की मांग की थी और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की भी गुहार लगाई थी। साथ ही जिन राज्यों में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, उन्हें नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त तक होगी। नूपुर के खिलाफ यदि नई प्राथमिकी दर्ज होती भी है तो उनके खिलाफ कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं होगी। नूपुर शर्मा के वकील ने कोर्ट से कहा कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद उन्हें लगातार धमकियां मिली हैं। याचिका में गिरफ्तारियां पर रोक लगाने एवं और नए एफआईआर दर्ज न करने की मांग की गई थी। बता दें कि आठ अलग-अलग राज्यों में नूपुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हैं। कोलकाता पुलिस ने नूपुर के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सभी एफआईआर एक साथ मिलाने पर राज्यों से उनका जवाब मांगा है।

दर्दनाक : छीनाझपटी का विरोध करने पर बदमाशों ने शख्स को जिंदा जलाया, हुई मौत

मुंगेर (आरएनएस)। बिहार के मुंगेर जिले में एक युवक को छीनाझपटी का विरोध करने की कीमत अपनी जान गंवा कर चुकानी पड़ी। जहां बदमाशों ने युवक को जिंदा जलाकर मार डाला। पुलिस के मुताबिक, नया टोला फुलका निवासी 34 वर्षीय रवि कुमार टाटानगर में रहकर काम करता था। मंगलवार की सुबह वह टाटा से ट्रेन से वापस लौटा था। धरहरा स्टेशन उतरने के बाद दशरथपुर होकर पैदल ही अपने घर जा रहा था। बताया जाता है कि दशरथपुर के पास अज्ञात बदमाशों ने रवि के साथ छीनाझपटी करने लगे, जिसका रवि ने विरोध किया। विरोध से गुस्साए बदमाशों ने रवि के शरीर पर पेट्रोल उड़ेल दिया और जिंदा जला दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद धरहरा आरपीएफ ने घायल अवस्था में रवि को इलाज के लिए धरहरा प्राथमिक स्वास्थ केंद्र ले गए जहां से उसे मुंगेर सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया।सदर अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। रवि ने मौत से पहले दिए गए अपने बयान में घटना का कारण छीनाझपटी का विरोध बताया है। चिकित्सकों ने बताया कि 90 प्रतिशत जल जाने के कारण इलाज के दौरान रवि की मौत हो गई। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि रवि के परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है, पुलिस मामले की जांच कर रही है।

भारत में कोविड-19 के 15,528 नए मामले दर्ज, 25 मौतें

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारत में मंगलवार को पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 15,528 नए मामले सामने आए हैं, जो पिछले दिन सोमवार को दर्ज गुए 16,935 से कम है। इसकी सूचना केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को दी। इसी अवधि में, देश में महामारी से 25 लोगों की जान गई, जिससे मौत का आंकड़ा बढक़र 5,25,785 हो गया है। वहीं 16,113 मरीज ठीक भी हुए हैं। देशभर में कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढक़र 4,31,13,623 हो गई। नतीजतन, भारत का रिकवरी रेट 98.47 प्रतिशत है। इस बीच, भारत का डेली पॉजिटिविटी रेट घटकर 3.32 प्रतिशत हो गया है, जबकि वीकली पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 4.57 प्रतिशत है। साथ ही इसी अवधि में, देशभर में कुल 4,68,350 कोविड टेस्ट किए गए, जिससे कुल संख्या बढक़र 87.01 करोड़ से अधिक हो गई।

हिमाचल : किन्नौर में बादल फटने से आई बाढ़, पानी में डूबे घर

शिमला (आरएनएस)। हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिले के शलखर गांव में बादल फटने से आठ नालों में बाढ़ आ गई। जिससे इलाके के कई घर और वाहन पानी में डूब गए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बादल फटने की घटना को चिंताजनक बताया और प्रशासन को राहत एवं बचाव कार्य के निर्देश दिए। ठाकुर ने कहा कि प्रशासन को बारिश के मौसम के चलते पूरे हिमाचल में अलर्ट रहने को कहा गया है। उन्होंने कहा, किन्नौर में लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो चिंता का विषय है।

विमानों में खराबी की बढ़ती घटनाओं पर डीजीसीए सख्त, सभी एयरलाइंस को दिया 10 दिन का अल्टीमेटम

नई दिल्ली (आरएनएस)। पिछले कुछ महीनों से विमानों में उड़ान के दौरान तकनीकी खामियां सामने आने की घटनाएं एकाएक बढ़ी हैं। इसी के मद्देनजर देश के एविएशन सेफ्टी रेग्युलेटर डीजीसीए ने स्पॉट चेकिंग की तो कई कमियां नजर आईं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डीजीसीए को पता चला कि एयरलाइंस कंपनियों की तरफ से विमानों में खराबियों का पता लगाने में चूक हो रही है और हवाई अड्डों पर चलिफाइड इंजीनियरों की तैनाती नहीं की जा रही है। अब डीजीसीए ने विमान कंपनियों को नए निर्देश जारी करके कहा है कि हर फ्लाइट से पहले तय नियमों का पालन करना होगा। विमान कंपनियों को दिक्कतें दूर करने के लिए 28 जुलाई तक का वक्त दिया गया है।

ये निर्देश विमानों की सुरक्षा को लेकर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री

ज्योतिरादित्य सिंधिया की एयरलाइंस के बड़े अधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद जारी किए गए। बैठक में सिंधिया ने निर्धारित सुरक्षा मानदंडों का सख्ती से पालन करने और यात्रियों की सुरक्षा में किसी तरह की ढिलाई न बरतने पर जोर दिया था। इसके बाद डीजीसीए की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि विमानों को उड़ान के लिए तैयार करने से पहले न्यूनतम उपकरण सूची (एमईएल) रिलीज करने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। एमईएल के जरिए विमान में मामूली टूट-फूट होने पर भी निर्धारित अवधि के लिए उड़ान की मंजूरी दे दी जाती है। जैसे अगर विमान की लैंडिंग लाइट टूटी हो तो भी उसे दिन में उडऩे की इजाजत एमईएल से मिल जाती है।

डीजीसीए ने कहा है कि यह भी देखने में आया है कि ट्रांजिट और छोटे स्टेशनों पर एयरलाइंस कैटिगरी ए सर्टिफाइड स्टाफ से ही विमानों को उड़ान के लिए फिट घोषित करा लेती हैं जबकि ये नियम के खिलाफ है। इसे देखते हुए डीजीसीए ने आदेश दिया है कि सभी बेस और ट्रांजिट स्टेशनों पर सभी विमानों को तभी रिलीज किया जाएगा, जब बी1/बी2 लाइसेंस धारी एयरक्राफ्ट मेंटिनेंस इंजीनियर जांच के बाद उसे सर्टिफाई करेगा।

गो फर्स्ट के दो विमानों में टेकऑफ के बाद इंजन खराब, करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिग

नई दिल्ली (आरएनएस)। गो फर्स्ट फ्लाइट के दो विमानों के इंजन में आई दिक्कत के कारण उनकी इमरजेंसी लैंडिग कराई पड़ी। जानकारी के अनुसार, ये फ्लाइट्स मुंबई से लेह और श्रीनगर से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली थी। पहली फ्लाइट की दिल्ली में और दूसरी फ्लाइट की श्रीनगर में लैंडिग करानी पड़ी। डीजीसीए ने बताया कि एयर कैरियर गो फर्स्ट की मुंबई-लेह और श्रीनगर-दिल्ली उड़ानों में आज इंजन की समस्या पैदा हो गई और इस कारण दोनों विमानों को रोक दिया गया। डीजीसीए के अधिकारियों ने बताया कि गो फर्स्ट की मुंबई-लेह उड़ान को मंगलवार को इंजन नंबर दो में खराबी के कारण दिल्ली की ओर मोड़ दिया गया। गो फर्स्ट की श्रीनगर-दिल्ली उड़ान भी विमान के इंजन नंबर 2 के बीच हवा में खराबी के बाद श्रीनगर लौट आई। उधर, नागरिक उड्डयन नियामक ने कहा कि वह मामले की जांच कर रहा है और डीजीसीए द्वारा मंजूरी मिलने पर ही विमान उड़ान भरेंगे। गौरतलब है कि पिछले एक महीने में भारतीय वाहकों द्वारा उड़ाए गए विमानों में कई तकनीकी खराबी की घटनाएं हुई हैं। पिछले तीन दिनों में, उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सुरक्षा निरीक्षण सुनिश्चित करने के लिए एयरलाइंस और उनके मंत्रालय के अधिकारियों और डीजीसीए के अधिकारियों के साथ कई बैठकें की हैं।

कोच्चि में पकड़ा गया रूसी जहाज, भारतीय नौसेना के लिए ले जा रहा था हथियार

कोच्चि (आरएनएस)। भारत में रूस के एक मालवाहक जहाज (कार्गो शिप) को पकडऩे की खबर सामने आई है। इस जहाज को किसी और नहीं बल्कि खुद केरल हाईकोर्ट के निर्देश पर कोच्चि पोर्ट से अरेस्ट किया गया है। अरेस्ट किया गया जहाज एस्टोनियाई कंपनी का रशियन शिप है और इसमें भारतीय नौसेना के लिए हथियार आए थे। कोर्ट ने यह आदेश शिप की ओर से फ्यूल चार्ज के करीब 1.87 करोड़ रुपये का पेमेंट नहीं करने के कारण दिया है। इस रूसी शिप का नाम एमए-एमएआईए-आई है। हालांकि इस मामले में रूस के दूतावास ने भारत सरकार से जवाब मांगा है। रूसी दूतावास का कहना है कि उसने बकाया पेमेंट पहले ही कर दिया है।

दूतावास ने भारतीय विदेश मंत्रालय से घटना की पूरी स्थिति पर स्पष्टीकरण जारी करने का अनुरोध किया है। रूसी दूतावास ने कहा, हम भारतीय बंदरगाह कोच्चि में रूसी मालवाहक जहाज को अरेस्ट किए जाने की खबर से अवगत हैं। इस जहाज पर भारतीय सशस्त्र बलों के लिए एक सैन्य माल पहुंचाया जा रहा था। उसने कहा, शुरुआती जानकारी के अनुसार, ये कार्रवाइयां एस्टोनियाई तट सेवा कंपनी बंकर पार्टनर ओयू के दावे से जुड़ी हैं। इस कंपनी ने दावा किया है कि जहाज के मालिकों पर कथित तौर पर कर्ज था। रूसी दूतावास ने कहा, हम यह बताना चाहेंगे कि अदालत ने माल उतारने की अनुमति दी है, क्योंकि इसका मुकदमे से कोई लेना-देना नहीं है। चेन्नई में रूसी महावाणिज्य दूतावास इस पर नजर रखे हुए है। बता दें कि यह जहाज भारतीय नौसेना के लिए हथियार ले जा रहा था। ऐसे में अदालत ने हिरासत में रहते हुए माल उतारने की अनुमति दे दी है। इससे पहले जहाज को हिरासत में लिए जाने के लिए कोच्चि के करुवेलीपाडी के रहने वाले टीएक्स हैरी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

अवैध खनन रोकने पहुंचे डीएसपी को डंपर से कुचला, हरियाणा के मेवात की घटना, मौके पर ही मौत

मेवात (आरएनएस)। हरियाणा के मेवात में डीएसपी को डंपर से कुचलने का मामला सामने आया है। डीएसपी सुरेंद्र सिंह अवैध खनन को रोकने के लिए पहुंचे थे, लेकिन माफिया के लोगों ने उन पर ट्रक चढ़ा दिया। इससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई है। नूह पुलिस ने बताया कि सुरेंद्र सिंह बिश्नोई को अवैध खनन के बारे में जानकारी मिली थी और वह जांच के लिए मौके पर पहुंचे थे। इसी दौरान अवैध खनन में शामिल एक ट्रक उन पर चढ़ा दिया गया। आरोपी को पकडऩे के लिए तलाश जारी है। डीएसपी सुरेंद्र सिंह कुछ ही वक्त बाद रिटायर होने वाले थे। फिलहाल हत्यारों की तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि इस घटना में एक और ट्रक के शामिल होने का संदेह है। फिलहाल मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है और आसपास के इलाकों में ड्राइवर की तलाश की जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रकों के पास खनन कर निकाले गए पत्थरों को ढोने की कोई अथॉरिटी नहीं थी। कहा जा रहा है कि डीएसपी ने जब ट्रक को रोकने का प्रयास किया तो ड्राइवर ने आगे बढ़ाते हुए उसे उनके ऊपर ही चढ़ा दिया। एक ट्वीट में हरियाणा पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि हत्यारों को जल्दी ही पकड़ा जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी।

होम मिनिस्टर बोले- आसपास के जिलों की भी फोर्स लगाओ, सख्त ऐक्शन हो- घटना को लेकर हरियाणा के होम मिनिस्टर अनिल विज का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। अनिल विज ने कहा कि खनन माफिया को बख्शा नही जाएगा। आसपास के जिलों की फोर्स भी लगानी पड़े तो लगाएंगे। किसी को बख्शा नही जाएगा।

अपनी गाड़ी के पास खड़े थे, तीन महीने बाद होना था रिटायरमेंट- हरियाणा पुलिस का कहना है कि तावडू थाने को सूचना मिली थी कि पंचगांव की पहाड़ी में बड़े स्तर पर अवैध खनन चल रहा है। डीएसपी सुरेंद्र सिंह पुलिस टीम के साथ पहाड़ी पर रेड मारने पहुंचे। उन्होंने मौके पर खनन कर रहे माफिया को रोकने का प्रयास किया तो उन लोगों ने डीएसपी पर पत्थरों से भरा डंपर चढ़ा दिया। उस समय डीएसपी सुरेंद्र सिंह अपनी सरकारी गाड़ी के पास खड़े थे। डंपर की टक्कर से वह नीचे गिर गए और डंपर उनके ऊपर से निकल गया। डीएसपी सुरेंद्र सिंह हिसार जिले के आदमपुर क्षेत्र के गांव सारंगपुर के रहने वाले थे। वे 12 अप्रैल 1994 को हरियाणा पुलिस में एएसआई के पद पर भर्ती हुए थे। पुलिस से अब 31 अक्टूबर को उनकी सेवानिवृत्ति होनी थी।

प्लेसमेंट एजेंसी के पीछे मानव तस्करी का खेल, मुक्त कराई गईं 10 नाबालिग लड़कियां

नई दिल्ली (आरएनएस)। नोबेल विजेता कैलाश सत्यार्थी द्वारा स्थापित बचपन बचाओ आंदोलन(बीबीए) ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग(एनसीपीसीआर), एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट(एएचटीयू) और दिल्ली पुलिस के सहयोग से दक्षिणी दिल्ली में चल रही एक अवैध प्लेसमेंट एजेंसी से 10 नाबालिग आदिवासी लड़कियों को मुक्त करवाया है। यह सभी ट्रैफिकिंग के जरिए झारखंड के दक्षिणी सिंहभूम जिले से अच्छे काम व पैसे का लालच देकर लाई गई थीं। यह एजेंसी पिछले दस साल से यहां अपना काम कर रही है।

पुलिस ने इस मामले में पांच ट्रैफिकर्स की पहचान की है, जिनमें से दो के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इन सभी लड़कियों की उम्र 13 से 17 साल के बीच है। सभी लड़कियों का मेडिकल टेस्ट करवा लिया गया है और इसके बाद इन्हें चाइल्ड वेलफेयर कमेटी(सीडब्ल्यूसी) के सामने पेश किया जाएगा।

बीबीए के निदेशक मनीश शर्मा ने कहा, 'हमारा संगठन उन प्लेसमेंट एजेंसियों की गतिविधियों के खिलाफ है, जो गरीब व कमजोर वर्ग के बच्चों को लालच देकर या बहला-फुसलाकर ट्रैफिकिंग का शिकार बनाती हैं।' उन्होंने आगे कहा, 'हम सरकार से आग्रह करते हैं कि वह आने वाले समय में ऐसी अवैध गतिविधियों में लिप्त रहने वाली प्लेसमेंट एजेंसियों के खिलाफ एक कठोर कानून लाए।'

गौरतलब है कि देश की राजधानी में पहले भी ऐसे मामले सामने आते रहे हैं जब दूसरे राज्यों के ग्रामीण इलाकों से लडक़े-लड़कियों को अच्छे काम और पैसे के लालच में ट्रैफिकिंग के जरिए लाया गया है। पिछले महीने ही दिल्ली के ही एक इलाके से दो नाबालिग घरेलू सहायिकाओं को भी छुड़ाया गया था। इनसे अमानवीय हालत में काम करवाया जाता था और खाने के नाम पर बचा-खुचा ही दिया जाता था। यह दोनों नाबालिग आपस में बहनें थीं और इन्हें ट्रैफिकिंग के जरिए बहला-फुसलाकर लाया गया था। इस तरह के तमाम मामले नियत अंतराल पर सामने आते रहते हैं। इस तस्वीर का चिंताजनक पहलू यह है कि ट्रैफिकर्स का शिकार ज्यादातर नाबालिग होते हैं और एक बार इनके चंगुल में आने के बाद उनका बचना काफी मुश्किल हो जाता है।

पांच सालों में सशस्त्र बलों में 819 आत्महत्याएं हुई, राज्यसभा में बोली सरकार

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्र सरकार के राज्यसभा में उपलब्ध कराए गए विवरण के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में सशस्त्र बलों के कुल 819 कर्मियों ने आत्महत्या की। इस मामले में सेना ने अधिकतम 642 ऐसे मामले दर्ज किए हैं। राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा है कि भारतीय वायु सेना ने उक्त अवधि में आत्महत्या के 148 मामले दर्ज किए, जबकि भारतीय नौसेना में यह संख्या 29 थी। पिछले पांच वर्षों में आत्महत्या करने वाले सैनिकों और पूर्व सैनिकों की संख्या पर एक सवाल के बाद रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने जवाब दिया। भट्ट ने कहा, सेवाओं में तनाव और आत्महत्या के प्रबंधन के लिए, सशस्त्र बल तनाव कम करने वाले तंत्र में सुधार के लिए लगातार उपाय कर रहे हैं। एक विस्तृत मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम तैयार किया गया है, जो 2009 से प्रचलन में है। उन्होंने कहा कि अवसाद और आत्महत्या की प्रवृत्ति जैसी समस्याओं से जूझ रहे सशस्त्र बलों के जवानों पर नजर रखने और उनकी पहचान करने के लिए विभिन्न तंत्र मौजूद हैं। मंत्री ने कहा, तनाव के उच्च जोखिम वाले कर्मियों की पहचान की जाती है और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार यूनिट कमांडिंग अधिकारियों, रेजिमेंटल चिकित्सा अधिकारियों और कनिष्ठ नेताओं द्वारा परामर्श दिया जाता है। उन्होंने कहा कि छुट्टी के बाद यूनिट में लौटने वाले सभी कर्मियों का रेजिमेंटल चिकित्सा अधिकारियों द्वारा साक्षात्कार, परामर्श और चिकित्सकीय परीक्षण किया जाता है। सेना में, उन्होंने कहा कि तनाव के मुद्दे को कमांडरों द्वारा विभिन्न स्तरों पर व्यापक तरीके से संभाला जा रहा है। भट्ट ने कहा, सभी प्रमुख स्टेशनों पर कमांडरों और मनोचिकित्सकों द्वारा तनाव प्रबंधन के लिए सत्र आयोजित किए जाते हैं। परामर्श सेना में 23 मनोरोग केंद्रों का एक आंतरिक घटक है, जो अच्छी तरह से प्रशिक्षित और योग्य मनोचिकित्सकों और मनोरोग नर्सिंग सहायकों द्वारा संचालित है।

जरूरी नहीं कि हर मामले की सुनवाई हम करें', एससी ने 'अग्निपथ' योजना को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं दिल्ली हाईकोर्ट में की ट्रांसफर

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट में आज केंद्र सरकार द्वारा जून में लाई गई अग्निपथ योजना को लेकर मामले पर सुनवाई हुई। सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अग्निपथ योजना के खिलाफ कई हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर हैं जिनमें से एक दिल्ली हाईकोर्ट भी है। मेहता ने कहा कि मेरी गुजारिश है कि सभी याचिकाओं पर एक साथ दिल्ली या अन्य हाईकोर्ट में सुनवाई की जाए। इस पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आप एक ट्रांसफर पीटिशन दायर करिए। हम हाईकोर्ट को सभी याचिकाएं सुनवाई करने को भेज देंगे। याचिकाकर्ता एमएल शर्मा ने कहा

कि अदालत हमें यहां सुन ले।

शीर्ष अदालत की पीठ ने कहा कि जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। हम उन्हें सुनकर ही मामला स्थानांतरित करेंगे। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट में अग्निपथ योजना से संबंधित देशभर में लंबित मामलों को एक साथ सुनवाई के लिए ट्रांसफर करेगा। इस पर एक याचिकाकर्ता की ओर से वकील कुमुद ने मामले को शुक्रवार तक स्थानांतरित करने की मांग की। वहीं, वकील की मांग पर पीठ ने कहा कि हम देखते हैं।

जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लंबित है, जरूरी नहीं कि हर मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ही करे। हाईकोर्ट को पहले सुनवाई करने दिया जाए, ताकि हमारे पास हाईकोर्ट का रुख होगा। जस्टिस ने कहा कि आप याचिका को हाईकोर्ट ट्रांसफर कर सकते हैं या आप हाईकोर्ट में नई याचिका दाखिल कर लीजिए।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया स्पष्ट, अग्निपथ योजना के भर्ती प्रक्रिया में नहीं हुआ कोई बदलाव

अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती प्रक्रिया पर उठे राजनीतिक विवाद पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को यह साफ कर दिया है कि सैन्य भर्ती प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है। संसद भवन परिसर में मीडिया से बात करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यह पूरी तरह से अफवाह है। जो पहले व्यवस्था थी, आजादी के पहले की, वही व्यवस्था अब तक चली आ रही है। कहीं पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। रक्षा मंत्री ने आगे कहा कि जो पुरानी व्यवस्था रही है वही व्यवस्था अब तक चली आ रही है। दरअसल, अग्निपथ योजना के तहत होने वाली भर्ती प्रक्रिया में जाति एवं धर्म प्रमाणपत्र मांगे जाने को लेकर देश में सियासत शुरू हो गई है। विपक्षी दल इसे लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इन्ही विवादों पर प्रतिक्रिया देते हुए यह साफ किया कि भर्ती प्रक्रिया में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है।